12.03 hrs

Title: Regarding Government Business for the week commencing from 23rd April, 2001 and submission by members.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Pramod Mahajan.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 23rd April, 2001 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion and voting on the Demands for Grants of the following Ministry/Department:-

   i. Ministry of Rural Development
   ii. Department of Disinvestment

1. Submission to the Vote of the House outstanding Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2001-2002 at 6 p.m. on Tuesday the 24th April, 2001 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
2. Consideration and passing of the Finance Bill, 2001.
3. Further consideration and passing of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Bill, 2000 as reported by Joint Committee.

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विाय शामिल किये जायें :-

1. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलवादी क्षेत्रों में हेलीकाप्टरों का उतरना संदेहास्पद है और यह किसी ाड़यंत्र का हिस्सा है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गंभीर विाय पर श्वेत पत्र जारी करें।

(2) डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल ने भारत वर्ा का नक्शा गलत प्रकाशित करने का अपमानजनक कार्य किया है, जिसे उसने स्वीकार भी किया है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि डब्ल्यू. डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल पर मुकद्मा चलाया जाये। केन्द्र सरकार ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं राट्रीय सम्मान के प्रश्न की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न वियों को सम्मिलित किया जाएः-

1. भारत के सम्पूर्ण गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को पुनः सर्वे कर उन्हें कार्ड वितरण किया जाए तथा उनके परिवार के एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय नौकरी में लेने की गारंटी योजना लागू की जाए तथा प्रत्येक परिवार को उद्योग हेतु ऋण देने की गारंटी दी जाए।
2. शिक्षित बेरोजगारों के सभी वर्ग जिनकी उम्र 35 वर्ा से अधिक हो चुकी है, उन्हें 40 वर्ा तक शासकीय सेवा एवं अर्द्धशासकीय सेवा में लेने की गारंटी एवं 4 प्र ातिशत ब्याज पर शिक्षितों को बैंकों से ऋण 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक योग्यतानुसार देने की योजना लागू की जाए।

...(*Interruptions*)

____